

(ख) या तो आवेदक के नाम में या माता-पिता/पति-पत्नी/वयस्क बच्चों, यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित हैं, में से किसी एक के नाम में पते की स्व:प्रमाणित प्रति (उनमें से कोई एक संलग्न करें)

(i) निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज:- (इनमें से कोई एक)

- | | |
|---|---|
| 1. ☐ उस पते पर पानी/बिजली/गैस कनेक्शन बिल (कम से कम 1 वर्ष का) | 2. ☐ आधार कार्ड |
| 3. ☐ राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक/डाक घर की वर्तमान पास बुक | 4. ☐ भारतीय पासपोर्ट |
| 5. ☐ राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, जिसमें किसान बही भी है | |
| 6. ☐ रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख (किराएदार की दशा में) | |
| 7. ☐ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख (स्वयं के घर की दशा में) | |

(ii) निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज: -

(यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(9) दिव्यांगता का प्रवर्ग, यदि कोई हो (वैकल्पिक) ☐ चलित ☐ दृष्टि ☐ मूक-बधिर
यदि कोई और हो (वर्णन करें) _____

दिव्यांगता का प्रतिशत ☐ % प्रमाणपत्र संलग्न (समुचित बॉक्स पर निशान लगाएँ) ☐ हां ☐ नहीं

(10) मेरे परिवार के सदस्यों, जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

परिवार के सदस्य का नाम: _____ आवेदक के साथ संबंध _____

उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र सं०: _____

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, --

(i) मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है :- _____ ग्राम/शहर
_____ जिला _____ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

(ii) मैं प्ररूप 6 की क्र.सं. 8 (क) में दिए गए पते वाले स्थान में _____ (मास और वर्ष का वर्णन करें) से मामूली तौर से निवासी हूँ।

(iii) मैं निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए पहली बार आवेदन कर रहा हूँ और किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मेरा नाम पहले से ही सम्मिलित नहीं किया गया है।

(iv) मेरे पास ऊपर 7 ख (i) में उल्लिखित जन्म तारीख/आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है। अतः मैंने आयु सबूत के समर्थन में _____ (दस्तावेज का नाम) संलग्न किया है (यदि लागू न हो, तो काट दें)।

(v) मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त कथन या घोषणा करना, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का मुझे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का मैं विश्वास नहीं करता/करती हूँ। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा।

तारीख: _____

स्थान: _____

आवेदन के हस्ताक्षर/ बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

अभिगम्यता अनुदेश:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के उपबंध के आलोक में, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु दिव्यांगता आदि वाले व्यक्ति की दशा में, दिव्यांग व्यक्ति का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या उसके / उसकी विधिक संरक्षक का हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपेक्षित होगा।

टिप्पण:-

*	विवाहित स्त्री आवेदक की दशा में, अधिमानतः पति का नाम उल्लिखित किया जाए।
^	उल्लिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति का प्रस्तुत किया जाना सेवाओं के त्वरित परिदान को सुनिश्चित करेगा।
#	उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की दशा में, मौका सत्यापन आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रवर्गों, जैसे गृहविहीन भारतीय नागरिकों, जो निर्वाचक होने के लिए अन्यथा योग्य हैं, लेकिन जिनके पास साधारण निवास के सबूत का कोई दस्तावेज नहीं है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मौका सत्यापन के लिए किसी अधिकारी को पदाभिहित करेगा।



आवेदन के लिए स्वीकृति / रसीद



अभिस्वीकृति संख्या _____ तारीख _____

श्री/श्रीमती/ सुश्री _____ का प्ररूप 6 में आवेदन प्राप्त हुआ।

[आवेदक, आवेदन की प्राप्ति तिथि जांचने के लिए अभिस्वीकृति संख्या का संदर्भ ले सकता है।]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम / हस्ताक्षर

प्ररूप 6 आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1. सामान्य अनुदेश:-

क) आवेदन, ऐसे सभा निर्वाचन क्षेत्र (एसी) /संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (पीसी) के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को संबोधित किए जाएंगे, जिसमें आवेदक साधारणतया निवास करता है। यदि आवेदक सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम के बारे में नहीं जानता है या उसे कोई शंका है, तो उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा सहायता दी जा सकेगी और आवेदन को केवल सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम उल्लिखित न किए जाने के आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा।

(ख) आवेदक, अंग्रेजी या राज्य की राजभाषा में आवेदन की प्रविष्टियां भर सकता है और यह आवेदन को रद्द किए जाने का आधार नहीं होगा।

(ग) किसी शांत स्टेशन पर उसके पदस्थापन के स्थान पर निर्वाचक नामावली में साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सेवारत कार्मिक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में सेवारत मतदाता या साधारण निर्वाचक के रूप में पहले से ही नामांकित न हो।

* (घ) फोटो: सफेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली, रंगीन पासपोर्ट आकार (4.5 से.मी. X 3.5 से.मी.) की नवीनतम अहस्ताक्षरित फोटो दिए गए स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए। आंखें खुली होनी चाहिए और चेहरे के दोनों किनारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।

(ङ) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी): ईपीआईसी, नामांकन के पश्चात् समुचित पावती के साथ बिना किसी लागत के या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए डाक पते पर परिदत्त किया जाएगा।

2. **मद (1)* (नाम):** सही नाम और वर्तनी, राज्य की राजभाषा और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि केवल एक भाषा में भरा गया है तो प्रणाली स्वतः ही अन्य भाषा में लिप्यन्तरण करेगी, जिससे वर्तनी में त्रुटियां हो सकती हैं।

3. **मद (2क) और मद (2ख) *(नातेदार का नाम और उपनाम) :** विवाहित महिला आवेदक की दशा में, अधिमानतः उसके पति का नाम उल्लेखित किया जा सकेगा। (स्तंभ में लागू नहीं होने वाले विकल्पों को काट दें।)

4. **मद (5) आधार के ब्यौरे :** प्रविष्टियों के अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए आधार संख्या प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि आवेदक के पास आधार संख्या नहीं है तो मद 5(ख) पर बॉक्स में उसका उल्लेख किया जाए।

5. **मद (6) (लिंग) :**

* (क) लिंग के लिए उपबंधित समुचित बॉक्स में स्पष्ट रूप से 'पुरुष'/'स्त्री'/'तृतीय लिंग' चिह्नित किया जाना चाहिए।

(ख) तृतीय लिंग से संबंधित आवेदक, अपने लिंग को 'पुरुष' के रूप में या 'स्त्री' के रूप में या 'तृतीय लिंग' के रूप में उपदर्शित कर सकेगा।

6. **मद (7) (क) (ख) (जन्म तारीख):**

* (क) आयु के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेजों में से किसी एक की स्वःप्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है। प्रमुख दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना त्वरित रजिस्ट्रीकरण और सेवाओं के परिदान को सुनिश्चित करेगा।

(ख) यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आयु के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहिए; और उक्त दस्तावेज का नाम प्ररूप के भाग 'घोषणा' की मद 7 (ii) और मद (iv) में उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे मामलों में, आवेदक को सत्यापन के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर या किसी अन्य पदाभिहित ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

7. **मद (8) (वर्तमान साधारण निवास) :**

* (क) साधारण निवास के सबूत के रूप में आवेदक / माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वःप्रमाणित प्रति के साथ पिन कोड सहित पूरा डाक पता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

(ख) शेड/फुटपाथों पर निवास करने वाले गृहविहीन भारतीय नागरिकों और ऐसे सेक्स वर्कर, जिनके पास साधारण निवास का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है, की दशा में आवश्यक मौका सत्यापन किया जाएगा, यदि वे नामांकन के लिए अन्यथा योग्य हों।

(ग) विद्यार्थी, जो नामांकन के लिए योग्य हो, या तो अपने माता-पिता या ऐसे हॉस्टल/मैस के स्थान पर, जहां वे साधारणतया निवास करते हैं, नामांकन करा सकते हैं।

8. ***घोषणा :** "घोषणा" भाग की सभी प्रविष्टियां सभी तरह से पूरी होनी चाहिए।

"कृपया ध्यान दे कि घोषणा भाग में कोई मिथ्या कथन करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अधीन कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय अपराध होगा"।